हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय गठन की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त, 2023 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय जोधपुर रहेगा।
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन से राज्य में विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना आसान होगा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रदेश के हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा बुनकरों के आर्थिक उत्थान एवं विकास हेतु सुनियोजित रूप से कार्य किया जाएगा।
- साथ ही उत्पादों के लिये बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था के साथ ही निर्यात योग्य बनाने के लिये भी हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों की मदद की जाएगी।
- निदेशालय के सुचारू संचालन से उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी तथा इन उत्पादों के निर्यात में राज्य की भागीदारी में भी इज़ाफा होगा।
- राज्य में हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा बुनकरों के उत्थान हेतु कार्य योजना के अनुरूप महत्त्वपूर्ण आयोजन, निर्णय एवं कार्य किये जाएंगे

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/notification-issued-for-formation-of-directorate-of-handicrafts-handlooms